

## प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद में शराब माफियाओ के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही- 25 हजार रुपये का एक एव व 10-10 हजार रुपये के चार ईनामिया सहित कुल 05 ईनामिया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में शराब माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2021 को थाना पवई पुलिस टीम द्वारा निम्न ईनामी शराब माफियाओ को गिरफ्तार किया गया है।

1. शरद यादव उर्फ मिन्टू पुत्र परघट यादव निवासी रजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. प्रमोद यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी रजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।
3. अमित सिंह पुत्र श्रीकृष्ण सिंह निवासी रजहांपुर थाना पवईजनपद आजमगढ़।
4. बबलू सिंह उर्फ दयानन्द सिंह पुत्र सत्यव्रत सिंह निवासी रजहांपुर थाना पवईजनपद आजमगढ़।

उपरोक्त चारो अभियुक्तगणो के ऊपर मु०अ०सं०-30/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60(ए)/72 आबकारी अधिनियम थाना पवई जनपद आजमगढ़ के अभियोग में वांछित होने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा 10-10 हजार का ईनाम घोषित किया गया था।

5. रवि यादव उर्फ रविकान्त पुत्र रामधारी यादव निवासी अताईपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 18.05.2021 को 1. मु०अ०सं० 58/21 धारा 419/1420/272/273/120बी भादवि व 60(ए) आबकारी अधि० थाना पवई आजमगढ़ 2. मु०अ०सं० 59/21 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि व 60(ए) आबकारी अधि० थाना पवई आजमगढ़ में वांछित होने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.05.2021 को 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

**रवि यादव उर्फ रविकान्त उपरोक्त जनपद स्तर पर पंजीकृत मोतीलाल गैंग (D-74)का सक्रिय सदस्य है।**

जनपद में अवैध जहरीली शराब से होने वाली मौते के उपरान्त बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब ,शराब बनाने के सामग्री खाली शीशी ,रैपर ,गैलन ,ड्रम इत्यादि गोदामो से बरामद किया गये थे तथा जनपद में लगभग अब तक 110 अवैध शराब बेचने व तस्करी करने वाले अभियुक्तो को जेल भेजा जा चुका है।

जनपद में विगत एक माह में अवैध शराब की तस्करी,निष्कर्षण तथा विक्री करने वाले शराब माफियाओ के पांच गैंगो के 20 सदस्यो के विरुद्ध थाना तरवां,पवई,सरायमीर,रौनापार तथा फूलपुर में अभियोग पंजीकृत किये गये है।

गैगेस्टर एक्ट में जेल भेजे गये उपरोक्त सभी शराब माफियाओ की शराब के अवैध धन्धो से अर्जित सभी सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है। इसके उपरान्त इस अवैध सम्पत्ति को 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर जप्तीकरण की कार्यवागी की जायेगी।